



तटस्थ उद्धरण 2020:

सीजीएचसी:12173

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 6442/2005

आदेश हेतु दिनांक 23.06.2022 को सुरक्षित रखा गया ।

आदेश दिनांक 17/07/2020 को उद्धोषित किया गया ।

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत विधिवत पंजीकृत एक कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय सीपत रोड, बिलासपुर में है द्वारा मुख्य महाप्रबंधक, चिरमिरी क्षेत्र, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़।

----- याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. नगर निगम, चिरमिरी, जिला कोरिया, द्वारा आयुक्त, नगर निगम, चिरमिरी, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़।

----- उत्तरवादीगण

एवं

रिट याचिका क्रमांक 1613/2004

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत विधिवत पंजीकृत एक कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय सीपत रोड, बिलासपुर में है द्वारा मुख्य महाप्रबंधक, भटगांव क्षेत्र, जिला बैकुंठपुर।



---- याचिकाकर्ता

**बनाम**

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, आवास और पर्यावरण मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर छत्तीसगढ़।
2. नगर पंचायत, भटगांव, द्वारा मुख्य नगरपालिका अधिकारी, भटगांव

---- उत्तरवादीगण

**एवं****रिट याचिका क्रमांक 4428/2005**

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत विधिवत पंजीकृत एक कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय सीपत रोड, बिलासपुर में है द्वारा मुख्य महाप्रबंधक, कुसुमुंडा क्षेत्र, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़।

---- याचिकाकर्ता

**बनाम**

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, शहरी विकास विभाग, डी. के. एस. भवन, रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. नगर निगम, कोरबा, द्वारा आयुक्त, कोरबा, छत्तीसगढ़।

---- उत्तरवादीगण

**एवं****रिट याचिका क्रमांक 4644/2005**

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, द्वारा मुख्य महाप्रबंधक, कोरबा क्षेत्र, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़।

---- याचिकाकर्ता

**बनाम**

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, शहरी विकास विभाग, डी. के. एस. भवन, रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. नगर निगम, कोरबा, द्वारा आयुक्त, कोरबा, छत्तीसगढ़।

---- उत्तरवादीगण

एवं

**रिट याचिका क्रमांक 4645/2005**

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, द्वारा मुख्य महाप्रबंधक, गेवरा क्षेत्र, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़।

---- याचिकाकर्ता

**बनाम**

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, शहरी विकास विभाग, डी. के. एस. भवन, रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. नगर निगम, कोरबा, द्वारा आयुक्त, कोरबा, छत्तीसगढ़।

---- उत्तरवादीगण

याचिकाकर्तागण के लिए : श्री शैलेंद्र शुक्ला, अधिवक्ता ।

राज्य के लिए : श्री जितेंद्र पाली, उप-महाधिवक्ता ।

उत्तरवादीगण क्रमांक 2 के लिए : श्री बी. डी. गुरु, अधिवक्ता ।



## माननीय श्री न्यायमूर्ति पी. सैम कोशी

### सी. ए. वी. आदेश

1. चूंकि सभी रिट याचिकाओं के ये समूह एक ही वाद कारण से उत्पन्न होते हैं तथा वर्तमान रिट याचिका में शामिल वाद प्रश्न और उत्तरवादियों द्वारा लिया गया आधार सभी समान प्रकृति के हैं, इसलिए इन रिट याचिकाओं का निराकरण इस एक ही आदेश द्वारा किया जा रहा है।
2. मुख्य रूप से, इन सभी रिट याचिकाओं में उत्तरवादीगण नगर निगम/नगर पालिका या नगर पंचायत द्वारा कोयले के परिवहन पर लगाए गए सीमा-कर की दर को बढ़ाए जाने के संबंध में पारित आदेश/प्रस्ताव को चुनौती दी गई है।
3. इन सभी याचिकाओं में याचिकाकर्ता वही कंपनी हैं जो कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत है और जो कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है, जिसके 100% शेयर भारत सरकार के पास निहित हैं। याचिकाकर्ता-कंपनी भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है और याचिकाकर्ता-प्रतिष्ठान को छत्तीसगढ़ राज्य के साथ-साथ मध्य प्रदेश राज्य के विभिन्न जिलों में खदानें मिली हैं। राज्य सरकार ने संबंधित नगर निगम और स्थानीय निकाय को नगरपालिका सीमा के भीतर या स्थानीय निकाय की सीमा के भीतर से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर सीमा-कर नामक कर एकत्र करने का अधिकार दिया है। कर की दर, सीमाएँ और निर्धारित शर्तें वे थीं जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिनियमित की जाती थीं।
4. राज्य सरकार ने नगर निगम अधिनियम, 1956 और मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़। नगरपालिका अधिनियम, 1961 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वस्तुओं पर सीमा-कर के आकलन और संग्रह को विनियमित करने के लिए नियम बनाए हैं, जिन्हें नगर निगम, नगर पालिका और संबंधित नगर पंचायत की सीमाओं के



भीतर से निर्यात किया जाएगा। उक्त नियमों को "एम. पी./सी. जी. नगरपालिका सीमा नियम, 1996 से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर सीमा-कर (मूल्यांकन और संग्रह)" के रूप में जाना जाता था। 1956 के उपरोक्त नियमों से जुड़ी अनुसूची उस दर को निर्धारित करती है जिस पर सीमा-कर लगाया जाना है और साथ ही अधिकतम दर भी निर्धारित करती है। कोयले पर लगाया गया सीमा-कर अनुसूची के क्रम क्रमांक 15 में परिलक्षित श्रेणी के अंतर्गत आता है, जिसे "अन्य स्थानीय उत्पादों" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नियम का अधिनियमन और उसमें निर्धारित दरों से पता चलता है कि नगर निगम या नगर पालिकाओं या यहां तक कि नगर पंचायत को, जैसा भी मामला हो, 1996 के नियमों में संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट दर पर सीमा-कर वसूल करना होगा, दूसरे शब्दों में इसका मतलब है कि एकत्र किया जाने वाला सीमा-कर अनुसूची में निर्धारित दरों से अधिक नहीं हो सकता है। इस समूह में विचाराधीन सभी याचिकाओं में नगर पंचायत के मामले में आयुक्त, नगर पालिका या मुख्य नगर अधिकारी द्वारा जारी एक आदेश है, जिन्होंने स्वयं सीमा की दर बढ़ाने के आदेश जारी किए थे और इन अधिकारियों द्वारा प्रशासनिक पक्ष से आदेश जारी करके कर में काफी वृद्धि की गई है।

5. उत्तरवादियों-नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत ने नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 133 या नगर निगम अधिनियम 1961 की धारा 127 और 129 की उप-धारा (1) के खंड XVI के साथ पठित धारा 355 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमा-कर को कथित रूप से बढ़ा दिया है। यह कर की वृद्धि है जिसे याचिकाकर्ताओं द्वारा चुनौती दी गई है।
6. मुख्य रूप से बढ़ी हुई दर का आदेश जारी करने में अधिकारियों की क्षमता को चुनौती दी गयी है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, जिन अधिकारियों ने आदेश जारी किए हैं, उन्हें 1996 में राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसे आदेश जारी करने का अधिकार नहीं दिया गया है, जिसके तहत पहले से ही एक



अनुसूची निर्धारित की गई है और अधिकतम दर भी निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, कर की दर में कोई भी बदलाव केवल राज्य सरकार द्वारा 1996 के नियमों के प्रावधानों और उससे जुड़ी अनुसूची में संशोधन करके किया सकता है। नगर निगम और यहां तक कि नगर पंचायत का जवाब यह है कि भारत सरकार ने 74 वें संविधान संशोधन के माध्यम से नगर पालिकाओं और नगर निगमों साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में गठित नगर पंचायतों को भी कुछ शक्तियां प्रदान की हैं, और अनुच्छेद 243-X कर अधिरोपित करने और धन जुटाने का प्रावधान करता है।

7. उत्तरवादियों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता के अनुसार, यह वह शक्ति है, जिसका उपयोग संबंधित अधिकारियों द्वारा नगर निगम अधिनियम के साथ-साथ नगर पालिका अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को उजागर करते हुए सीमा-कर को बढ़ाने के क्रम में किया गया है। राज्य के अधिवक्ता ने इस आधार पर जोर दिया कि सीमा-कर में वृद्धि नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत के अधिकार के भीतर है और इसमें कोई अवैधता नहीं है। उत्तरवादियों के अधिवक्ता के अनुसार, याचिकाकर्ता गलती से 1996 के नियमों पर भरोसा कर रहे हैं, जो आज दिनांक को प्रभावशील ही नहीं हैं। इन रिट याचिकाओं में राज्य सरकार का आधार भी वही बना हुआ है और उन्होंने एकत्र किए जाने वाले सीमा-कर की दरों को बढ़ाने में नगर निगम और नगर पंचायत की ओर से की गई कार्रवाई का बचाव करने का प्रयास किया है।

8. दोनों पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद यह देखा गया कि रिट याचिकाओं के इस समूह में शामिल वादप्रश्न वर्ष 2002 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष आया था, जिसमें "लाल नारायण सिंह बनाम मुख्य नगरपालिका अधिकारी और अन्य", 2003(2) एम. पी. एल. जे. 340 ने निर्णय दिनांक 04.04.2002 और फिर से "गजानंद अग्रवाल बनाम एम. पी. राज्य और अन्य", 2003(2) एम. पी. एल.



जे. 26, निर्णय दिनांक 26.08.2002 के दोनों रिट याचिकाओं मामले में समान तथ्य थे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उपरोक्त दो निर्णयों में वर्तमान रिट याचिकाओं में शामिल विवाद का विषय का निराकरण किया है।

9. “लाल नारायण सिंह” (पूर्वोक्त) के मामले में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने वर्तमान रिट याचिकाओं में शामिल उपरोक्त वादप्रश्न पर विचार करते हुए कंडिका क्रमांक 9 से 16 में निम्नानुसार निर्णय दिया:

“9. निष्कर्ष किए जाने वाला पहला प्रश्न यह है कि क्या शराब के निर्यात पर 2 प्रतिशत की दर निर्धारित करने के लिए नगर पालिका की कार्रवाई स्वीकार किए जाने योग्य है।

10. एम. पी. राज्य द्वारा बनाए गए 1996 के नियम 7 मार्च, 1997 से लागू हुए। ये नियम विशेष रूप से सभी प्रकार की शराब पर 1 प्रतिशत की दर निर्धारित करते हैं। नियमों के नियम 9 में प्रावधान किया गया है कि इन नियमों के शुरू होने की तारीख से, नगर निगम सीमा (मूल्यांकन और संग्रह) नियम, 1991 में आयातित या निर्यात की गई वस्तुओं और जानवरों पर एम. पी. नगरपालिकाओं का सीमा-कर निरस्त हो जाएगा। नियमों के उप-नियम (2) नियम (1) के तहत यह निर्धारित किया गया है कि ये नियम नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में धारा 127 की उप-धारा (1) के खंड XVI के तहत लागू होंगे। ये नियम एम. पी. राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे। 1996 के नियमों के नियम (1) के उप-नियम (2) को नीचे उद्धृत किया गया है:-

(2) ये नियम किसी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में उस तारीख को लागू होंगे जब एम. पी. निगम अधिनियम की धारा 132 की उप-धारा (2) के खंड (ओ) के



तहत ऐसा नगर निगम और एम. पी. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 127 की उप-धारा (1) के खंड (xvi) के तहत नगर पालिका या नगर पंचायत नगर निगम सीमा से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर सीमा-कर लगाती है।

परन्तु जहां निगम या पालिका ने पहले ही उक्त कर लागू कर दिया है, ये नियम एम. पी. राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

11. एम. पी. नगरपालिका अधिनियम की धारा 127 की उप-धारा (1) के तहत शक्ति इस संबंध में राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश के अधीन है। नगरपालिका अधिनियम की धारा 127 की उप-धारा (6) यह भी स्पष्ट करती है कि धारा (1) की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट कर के अलावा, किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, धारा 127 की उप-धारा (6) के खंड (एन) में उल्लिखित करों में से कोई भी कर लगाया जा सकता है। इस प्रकार, नगर पालिका की शक्ति निरंकुश नहीं है, यह राज्य सरकार द्वारा जारी सामान्य या विशेष आदेश का उल्लंघन नहीं करती है। वर्तमान मामलों में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1996 में बनाए गए वैधानिक नियमों में सामान्य प्रावधान हैं।

12. नगर पालिका द्वारा 1984 के नियमों पर निर्भरता 1984 के नियमों के तहत अनुमत नहीं है, नियमों के नियम 5 के तहत प्रदान किए गए नगरपालिका की सीमाओं से सभी प्रकार के जलने योग्य लकड़ी, निर्माण लकड़ी, खदानों, कोयले और लकड़ी के कोयले के निर्यात पर सीमा-कर लगाया जा सकता है।





13. 1984 के नियमों के नियम 5 में यह स्पष्ट किया गया है कि सीमा-कर कोयले और लकड़ी पर लगाया जाएगा। 1984 के नियमों में विशेष रूप से उल्लिखित उन अनुच्छेदों के संबंध में धारा 127 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया था। 1984 के नियम 7 के खंड (ए) और (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए थे। एम. पी. नगरपालिका अधिनियम की धारा 127 की उप-धारा (2) और धारा 355 की उप-धारा (1) और धारा 356 की उप-धारा (5); 1984 के नियम शराब पर पूरी तरह से लागू नहीं होते हैं। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि केवल एक प्रस्ताव पारित करके नगर पालिका के लिए 1984 के नियमों के तहत निर्धारित दर से अधिक कर लगाने का अधिकार था, जिसमें संशोधन नहीं किया गया है, इसलिए 1984 के नियमों के तहत शराब पर ऐसा कोई कर नहीं लगाया जा सकता है। विवादित प्रस्ताव पी/2 को पारित करते समय धारा 129 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। राज्य सरकार ने किसी भी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा 2 प्रतिशत की दर से कर लगाने को मंजूरी नहीं दी है; संकल्प पी/2 को मंजूरी के लिए राज्य सरकार को बिल्कुल भी नहीं भेजा गया था। यह पहले से ही लागू 1996 के वैधानिक नियमों के विपरीत है जिसे एक प्रस्ताव द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है, लेकिन केवल सरकार के अनुमोदन से नगर पालिका द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा।
14. मुख्य नगर अधिकारी नगर पंचायत, किमोर बनाम एटर्निट एवरेस्ट लिमिटेड और एक अन्य, 2000 (2) एम. पी. एल. जे. 291:2000(1) एम. पी. एच. टी. 33 इस न्यायालय ने निर्धारित किया कि नगर पालिका निर्यात कर लगाते समय विधायी कार्य करती है; उसी वैधानिक कार्य को किसी भी परिपत्र को जारी करके या नियमों के





तहत किसी भी प्राधिकरण द्वारा वैधानिक शक्ति का प्रयोग करके कम नहीं किया जा सकता है या प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। यह भी निर्धारित किया गया था कि राज्य सरकार नियम बना सकती थी, इसलिए राज्य सरकार ने वर्ष 1996 में नियम बनाए और उन्हें 7 मार्च 1997 के राजपत्र में प्रकाशित किया। ये नियम नगर पालिकाओं के लिए बाध्यकारी हो जाते हैं।

15. वर्तमान मामलों में नगर पालिका द्वारा 1996 के नियमों के उल्लंघन में निर्णय लिया गया था। यह कार्रवाई नगर पालिका द्वारा 1996 के नियमों के दायरे में की जा सकती है।

16. इस प्रकार, यह माना जाता है कि नगर पालिका का शराब के 2 प्रतिशत निर्यात की दर से कर एकत्र करने का निर्णय 1996 के नियमों का उल्लंघन है। नियमों के अनुसार, निर्यात कर केवल 1 प्रतिशत की दर से प्राप्त किया जा सकता है।”

10. इसी रुख को दोहराते हुए माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पुनः “गजानंद अग्रवाल” (पूर्वोक्त) के मामले में कंडिका क्रमांक 2 के वादप्रश्न का उल्लेख करते हुए कंडिका क्रमांक 10 में नगर परिषद द्वारा दर में वृद्धि को नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध माना है। त्वरित संदर्भ के लिए उपरोक्त निर्णय के कंडिका क्रमांक 2 और 10 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“2. चुनौती दो प्रकार की है-सबसे पहले इस आधार पर कि विधि की प्रक्रिया का पालन करते हुए अधिरोपण नहीं किया जाता है। दूसरा आधार यह है कि नगर पालिका ने एम. पी. नगर सीमा नियम, 1996 (संक्षेप में "नियम") से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर सीमा-कर (मूल्यांकन और संग्रह) नामक नियमों में निर्धारित दर को पार कर लिया है।



10. इस प्रकार, मूल्य पर 2 प्रतिशत की दर अधिरोपित करना शक्तियों के अधिकार से बाहर है; धारा 127 की उप-धारा (6) नगर पालिका की कर अधिरोपित करने की शक्ति को सीमित करती है। इसका प्रयोग राज्य सरकार के किसी भी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन किया जाना है। 1996 के नियमों को जारी किए गए सामान्य निर्देशों के रूप में लिया जाना चाहिए अधिनियम की धारा 127 की उप-धारा (6) के दायरे में। इस प्रकार, नियमों के तहत निर्धारित दर से अधिक दर पर कर लगाने की अनुमति नहीं है।”
11. यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पहले एक अवसर पर “मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पंचायत, कीमोर बनाम एटर्नित एवरेस्ट लिमिटेड और एक अन्य ”2000 (2) एम. पी. एल. जे. 291 के में मामले में इसी तरह के वादप्रश्न पर विचार किया था। उक्त मामले में उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि यद्यपि नगर पालिका निर्यात कर अधिरोपित करते समय विधायी कार्यों का प्रयोग करती है, उसी वैधानिक कार्य को नियमों के तहत किसी प्राधिकारी द्वारा कोई परिपत्र जारी करके या वैधानिक शक्ति का प्रयोग करके कम नहीं किया जा सकता है या प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है और यह भी उक्त निर्णय में अभिनिर्धारित किया गया था कि एक बार जब सरकार ने वर्ष 1996 में नियम बनाए हैं, तो नियम नगर पालिकाओं पर बाध्यकारी हो जाते हैं, जो वर्तमान मामले में नगर निगमों और नगर पंचायतों पर भी लागू होंगे।
12. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत और वर्तमान रिट याचिकाओं में शामिल वाद प्रश्न माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष “ए.सी.सी. लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश राज्य और एक अन्य ”(2005) 5 एस. सी. सी. 347 के मामले में विचार के लिए आया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने नगरपालिका की शक्ति अर्थात् राज्य सरकार की शक्ति के वादप्रश्न पर विचार करते हुए, जहां तक कि



कंडिका क्रमांक 4, 12, 14 और 15 में सीमा-कर एकत्र करने के लिए दरों को लागू किया गया है, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

“4. अपीलार्थी द्वारा मांग पर सवाल उठाते हुए एक रिट याचिका दायर की गई थी। यह तर्क दिया गया कि नगर पालिका केवल राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर पर सीमेंट पर निर्यात कर की वसूली करने की हकदार है, न कि जैसा कि नगर पालिका द्वारा दावा किया गया है। यह अपने दम पर कर नहीं लगा सकता क्योंकि यह हमेशा राज्य सरकार की मंजूरी के अधीन होता है। चूंकि राज्य सरकार ने पूरे मध्य प्रदेश में एकरूपता लाने के लिए सीमेंट की कीमत पर 0.20 प्रतिशत की दर तय करते हुए एक सरकारी आदेश जारी किया था, इसलिए नगर पालिका पुरानी दर पर कर की वसूली नहीं कर सकती है।

12. वर्तमान विवाद अधिनियम की धारा की उप धारा (1) के खंड (xvi) से संबंधित है। संवैधानिक योजना के तहत अधिनियम की धारा के तहत लगाए गए प्रकृति के कर को लगाने की शक्ति राज्य सरकार की है जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि हालांकि पालिका अधिनियम के उद्देश्यों के लिए कोई भी कर लगा सकती है, लेकिन यह किसी भी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन है जो राज्य सरकार उस ओर से बना सकती है। इसके अलावा, धारा की उप-धारा (2) राज्य सरकार को अधिनियम के तहत कर के अधिरोपण, निर्धारण और संग्रह को विनियमित करने के लिए अधिकृत करती है और कर की राशि या दर के रूप में अधिकतम और न्यूनतम सीमाएं भी निर्धारित करती है। खंड (xxiii) से भी स्थिति स्पष्ट है जो नगर पालिका को ऐसा कर लगाने का अधिकार देता है, जिसे राज्य





विधानमंडल के पास भारत के संविधान के तहत लागू करने की शक्ति है। अधिरोपण की शक्ति का स्रोत राज्य विधानमंडल को प्रदान की गई शक्ति है। नगरपालिका के पास कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है। धारा के तहत शक्ति का प्रयोग नगर पालिका द्वारा प्रतिनिधि मंडल द्वारा किया जाता है और यह प्रत्यायोजित विधान का मामला है। अनुभाग एक प्रक्रियात्मक अनुभाग है जो करों को लागू करने की प्रक्रिया से संबंधित है। खंड में विचार की गई शर्तें इस प्रकार हैं : (क) धारा 127 के तहत कोई कर लगाने के उद्देश्य से पालिका द्वारा पारित किया जाने वाला प्रस्ताव; (ख) जब उप-धारा (1) के संदर्भ में कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है तो पालिका से प्रस्ताव के साथ निर्धारित प्रपत्र और तरीके से एक अधिसूचना प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है; (ग) उप-धारा (3) के तहत नगर पालिका का कोई भी निवासी निर्दिष्ट अवधि के भीतर पालिका को लिखित रूप में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है; (घ) उप-धारा (4) के तहत प्रस्ताव और उससे प्राप्त सभी आपत्तियों को एक विशेष बैठक में विचार के लिए रखा जाना है। जब पालिका प्रस्ताव को संशोधित करने का निर्णय लेती है तो पालन की जाने वाली प्रक्रिया का भी संकेत दिया जाता है। उप-धारा (5) वर्तमान विवाद के लिए इस अर्थ में बहुत प्रासंगिक है कि प्रस्ताव प्राप्त करने पर राज्य सरकार के पास दो विकल्प हैं। यह या तो प्रस्ताव को मंजूरी दे सकता है या उसे मंजूरी देने से इनकार कर सकता है। जब राज्य सरकार प्रस्ताव को संशोधन के साथ या ऐसे संशोधन के साथ मंजूरी देती है जिसमें प्रस्तावित दरों में वृद्धि शामिल नहीं है जो वह उचित समझती है या ऐसी शर्तों के अधीन है जो नगर पालिका के भीतर अधिनियम के किसी भी उद्देश्य या उद्देश्य के लिए





आवेदन के लिए है जो कर की आय के पूरे या किसी भी हिस्से को लागू करने के संबंध में निर्दिष्ट किया जा सकता है। जब उप-धारा (5) के तहत कर के लिए कोई प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है, तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उप-धारा (7) के तहत निर्धारित तरीके से स्वीकृत कर के अधिरोपण का निर्देश दे सकती है। उप-धारा (8) में प्रावधान है कि जब इस धारा के तहत कर लगाने की अधिसूचना जारी की जाती है तो यह निर्णायक प्रमाण होता है कि कर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लगाया गया है। उप-धारा (6) इस अर्थ में बहुत महत्वपूर्ण है कि उप-धारा (5) के तहत सार को प्रभावित करने वाला कोई भी संशोधन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि पालिका द्वारा एक विशेष बैठक में संशोधन को स्वीकार नहीं किया जाता है। खंड राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ पालिका द्वारा कर को समाप्त करने या उसमें बदलाव से संबंधित है। यह खंड करों में राहत के संबंध में राज्य सरकार की शक्तियों से संबंधित है। राज्य सरकार द्वारा किसी भी शिकायत या स्वतः संज्ञान की प्राप्ति पर इस प्रावधान को लागू किया जा सकता है। बाद के मामले में, राज्य सरकार कार्रवाई कर सकती है यदि उसे लगता है कि पालिका द्वारा लगाया गया कोई भी कर अनुचित है या कि लेवी या उसका कोई हिस्सा नगर पालिका के निवासियों के हित के लिए अप्रिय है। किसी भी स्थिति में, राज्य सरकार पालिका से एक निर्दिष्ट समय के भीतर ऐसे किसी भी कर पर आपत्तियों को हटाने की अपेक्षा कर सकती है और यदि पालिका राज्य सरकार की संतुष्टि के लिए इस प्रकार निर्दिष्ट समय के भीतर आदेश का पालन करने में विफल रहती है, तो वह अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों या प्रतिबंधों के अधीन, जो





निर्दिष्ट की जाएं, किसी भी कर की राशि या दर को समाप्त, निलंबित या कम कर सकती है।

14. हालाँकि सरकारी आदेश में अधिनियम की धाराओं और 129 का उल्लेख किया गया है, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि नगर पालिका द्वारा कर की दर को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं था। धारा की उप-धारा (1) के संदर्भ में कर अधिरोपित करने की शक्ति का प्रयोग पालिका द्वारा किया जाना है जो निश्चित रूप से राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन है। नगर पालिका एक प्रतिनिधि के रूप में शक्ति का प्रयोग करती है और धारा के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्ति जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एक प्रत्यायोजित विधान है। चूंकि नगर पालिका ने कर की दर में किसी भी बदलाव का प्रस्ताव नहीं दिया है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा उस संबंध में कोई सामान्य या विशेष आदेश पारित करने का प्रश्न विचार योग्य नहीं है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि सरकारी आदेश इस मामले को सभी नगर पालिकाओं के लिए निर्देश के रूप में मानता है।

15. जहाँ तक धारा का संबंध है, राज्य सरकार द्वारा स्वतः ही दर निर्धारित करने का कोई सवाल ही नहीं है। वास्तव में नगर पालिका के प्रस्ताव पर कार्रवाई करते समय, राज्य सरकार प्रस्ताव के सार को प्रभावित करने वाले संशोधन को निर्देशित कर सकती है। लेकिन इसे तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि पालिका द्वारा एक विशेष बैठक में संशोधन को स्वीकार नहीं किया जाता है। वर्तमान मामले में आकस्मिकता उत्पन्न नहीं हुई है। यद्यपि धारा के संदर्भ में राज्य सरकार दर में कमी के लिए कार्रवाई शुरू





कर सकती है जो केवल तभी की जा सकती है जब गणना की गई परिस्थितियाँ मौजूद हों। वह स्थिति भी वर्तमान मामले में उत्पन्न नहीं हुई है और यह स्वीकार किया जाता है कि राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा के संदर्भ में कार्रवाई नहीं की है। इसलिए, खंड पीठ का विचार सही है कि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 15.12.1995 का वास्तव में कोई परिणाम नहीं है। धारा के तहत आगे के परिवर्तनों को नियम बनाकर धारा की उप-धारा (2) के संदर्भ में पेश किया जा सकता है। तत्काल मामले में, नियम मार्च 1997 में बनाए गए थे और इसका कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं था।”

13. फिर भी वर्ष 2012 में, इसी तरह की प्रकृति की रिट याचिकाओं का एक समूह फिर से आया, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए फिर से आया, जिसका प्रमुख मामला "मोहन चोपाड़ा बनाम एम. पी. राज्य और अन्य 2012 (4) एम. पी. एल. जे. 690, था जिसमें विषय वस्तु पर "एसीसी लिमिटेड" (पूर्ववर्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय सहित सभी पूर्व न्यायिक घोषणाओं का उल्लेख करते हुए, माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कंडिका क्रमांक 11 से 14 तक निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :

11. 1996 के नियमों द्वारा निर्धारित दरों से अधिक दरों पर कर लगाने की नगरपालिका की शक्ति और अधिकार पर इस न्यायालय के समक्ष मुख्य नगरपालिका अधिकारी, किमोर बनाम एटर्नित एवरेस्ट लिमिटेड और एक अन्य, 2000 (2) एम. पी. एल. जे. 291 के मामले में हमला किया गया था। उपरोक्त निर्णय में इस न्यायालय की खंड पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि जहां संबंधित नगर पालिका या नगर पंचायत को 1996 के नियम लागू होने से पहले उनके द्वारा तय की गई दरों पर राज्य सरकार से



अनुमोदन प्राप्त करने पर अधिनियम की धारा 129 के तहत एक प्रस्ताव पारित करके सीमा-कर लगाने की शक्ति है, लेकिन 1996 के नियम लागू होने के बाद, नगर पालिका या नगर पंचायत द्वारा निर्धारित दर पर सीमा-कर लगाने के लिए बाध्य हैं। अधिनियम की धारा 127 (6) के स्पष्ट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए 1996 के नियम और उससे ऊपर नहीं, जो विशेष रूप से निर्धारित करता है कि उस उप-धारा में प्रगणित कर राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए किसी विशेष और सामान्य आदेश के अधीन होगा। उपरोक्त मामले में इस न्यायालय का निर्णय उच्चतम न्यायालय में गया और एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज लिमिटेड बनाम सीमेंट कंपनीज लिमिटेड के मामले में दिए गए निर्णय द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। मध्य प्रदेश राज्य और दूसरा, 2005 (5) एस. सी. सी. 347।



12. जहां तक नगर पालिका, उमरिया का संबंध है, उन्होंने 1996 के नियमों को लागू करने के बाद भी सीमा-कर की दरों में वृद्धि करना जारी रखा, जैसा कि दस्तावेजों के अनुलग्नक पी/5, पी/6 और पी/8 से स्पष्ट है और इसलिए, कुछ व्यक्ति जो नगर पालिका, उमरिया की सीमा से शराब और महुआ का निर्यात कर रहे थे, उन्होंने इस न्यायालय के समक्ष सीमा-कर में वृद्धि का आरोप लगाते हुए याचिकाएं दायर कीं, जिन्हें रिट याचिका क्रमांक 3277/99 और 5215/99 के रूप में पंजीकृत किया गया था। मुख्य नगर पालिका अधिकारी, क्यमोर (पूर्वोक्त) के मामले में दिए गए इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए, इस न्यायालय ने रिट याचिका क्रमांक 5215/99 को दिनांक 4-4-2002 के आदेश द्वारा अनुमति दी, जिसे 2003 (2)



एम.पी.एल.जे. 340, लाल नारायण सिंह बनाम मुख्य नगर पालिका अधिकारी और अन्य के रूप में प्रकाशित, जिसमें 1996 के नियमों द्वारा निर्धारित दरों की तुलना में उच्च दरों पर सीमा-कर लगाने के नगर पालिका परिषद के प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया। रिट याचिका संख्या 3277/99 को समान शर्तों पर दिनांक 26-8-2002 के आदेश द्वारा निराकृत किया गया, जिसे 2003 (2) एम.पी.एल.जे. 26, गजानंद अग्रवाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य के रूप में प्रकाशित किया गया। रिट याचिका क्रमांक 3277/99 इसी तरह का निर्णय दिनांक 26-8-2002 के आदेश द्वारा किया गया था, जिसे 2003 (2) एम. पी. एल. जे. 26, गजानंद अग्रवाल बनाम एम. पी. का राज्य के रूप में प्रकाशित किया गया था।

13. इस न्यायालय के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि की उपरोक्त घोषणाओं को देखते हुए, 1996 के नियमों द्वारा निर्धारित दरों से अधिक कर लगाने की नगर पालिकाओं की शक्तियों के बारे में वाद प्रश्न अब एकीकृत नहीं है और उपरोक्त निर्णय द्वारा विशेष रूप से निष्कर्ष निकाला गया है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि नगर पालिका, उमरिया या उस मामले के लिए कोई अन्य नगर पालिका या नगर पंचायत 1996 के नियमों द्वारा निर्धारित दरों से अधिक सीमा-कर नहीं लगा सकती है।

14. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर, इस न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी, कड़मोर (पूर्वोक्त) के मामले में निर्धारित कानून, जिसका पालन इस





न्यायालय द्वारा नगर पालिका परिषद, उमरिया के मामले में दिए गए निर्णयों 2003 (2) एमपीएलजे 26, गजानंद अग्रवाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य व अन्य में किया गया था। तथा 2003 (2) एमपीएलजे 340, लाल नारायण सिंह बनाम मुख्य नगरपालिका अधिकारी व अन्य, मेरा यह विचार है कि नगरपालिका परिषद उमरिया द्वारा उक्त नियम 1996 के दिनांक 7-3-1997 से प्रभावी होने के पश्चात भी नियम 1996 में निर्धारित दर से अधिक टर्मिनल टैक्स निर्धारित करने का संकल्प विधि के किसी प्राधिकार के बिना है, क्योंकि नगरपालिका परिषद उमरिया राज्य सरकार द्वारा नियमों में निर्धारित दरों पर टर्मिनल टैक्स लगाने के लिए बाध्य है, अतः नगरपालिका परिषद उमरिया भवन निर्माण में प्रयुक्त सभी प्रकार की लकड़ी पर दिनांक 7-3-1997 से केवल 0.50% की दर से टर्मिनल टैक्स लगा सकती है, तथा उक्त दरों से अधिक या परे नहीं, जब तक कि राज्य द्वारा उन्हें संशोधित नहीं किया जाता है। परिणामस्वरूप, प्रतिवादी/नगर परिषद, उमरिया द्वारा 7-3-1997 के बाद 0.50% से अधिक दर पर टर्मिनल टैक्स लगाने के निर्णय को रद्द किया जाता है।”

नतीजतन, प्रतिवादी/नगर पालिका, उमरिया द्वारा 7-3-1997 के बाद 0.50% से ऊपर की दर पर सीमा-कर लगाने के निर्णय को रद्द दिया जाता है।”

14. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा इस विषय पर आधिकारिक घोषणाओं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए निर्णयों के आलोक में, राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए आधार 1996 के नियमों या 1996 के नियमों की गैर-प्रयोज्यता की सीमा तक स्थानीय निकाय के प्रभारी अधिकारियों द्वारा पारित





किए जा रहे बाद के आदेशों के आलोक में अपनी प्रभावशीलता खोने के कारण कथन का समर्थन नहीं करता है और यह अस्वीकार किया जाता है।

15. पूर्ववर्ती कंडिकाओं में चर्चा किए गए आधिकारिक निर्णयों के परिणामस्वरूप, इस न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि रिट याचिकाओं के इस समूह में चुनौती दिए गए प्रस्ताव और आक्षेपित आदेश विधि के विपरीत हैं और उन अधिकारियों द्वारा भी जारी किए गए हैं जिन्हें उन दरों को निर्धारित करने की शक्ति प्रदान नहीं की गई है जिन पर सीमा-कर एकत्र किया जाना चाहिए। इसलिए इन रिट याचिकाओं में से प्रत्येक में आक्षेपित आदेश/प्रस्ताव अपास्त किए जाने योग्य हैं और तदनुसार उन्हें अपास्त/रद्द कर दिया जाता है। सभी आक्षेपित आदेशों को अपास्त करने के परिणामस्वरूप, उससे उत्पन्न परिणाम का पालन किया जाए।

16. इन सभी रिट को स्वीकार किया जाता है।

सही/-  
(पी. सैम कोशी)  
न्यायाधीश

**(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)**

**अस्वीकरण:** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।